LAY NOTE BEFORE THE HON'BLE MEMBER
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

Date: 30.05.2023

Original Application no. 158/2023/PB

Anup Kumar
Vs.
State of Jharkhand & Ors.

Received an email dated 30.05.2023 from the Consultant (Judicial), NGT, PB, New Delhi annexing the case record of Original Application no. 158/2023/PB, **Anup Kumar vs. State of Jharkhand & Ors. Along with order dated 24.05.2023 passed by NGT, PB in the said case.**

It appears that the case has been taken cognizance on the basis of a complaint received by post/email. A joint committee comprising of State PCB, Regional Officer MoEF & CC, Divisional Forest Officer Hazaribagh and CPBC. The matter has been transferred to EZB for further proceedings.

Submitted for kind perusal and appropriate direction to register and re-number this case at this Bench and the matter may be posted on 11.07.2023.

Submitted please.

Shabana 30/05/2023
Section Officer

30/05/23
Ld. Deputy Registrar

30/5/23
Ld. Registrar

Hon'ble Judicial Member

Email **Judicial Section**

ORDER passed in Original Application No. 158/2023

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> Tue, May 30, 2023 10:21 AM

Subject : ORDER passed in Original Application No. 158/2023 2 attachments

To : Member Secretary CPCB <mscb.cpcb@nic.in>, bspcb@yahoo.com, Member Secretary <msbspcb-bih@gov.in>, ROR MoEFCC <ro.ranchi-mef@gov.in>, SOURAV CHANDRA <dfo-hazaribagheast@gov.in>, Ravindra Nath Mishra <dfo-hazaribaghwest@gov.in>, Awanish Kumar Chaudhary, IFS <dfo-wlhaz@gov.in>

Cc : mail@gautamsinghh.com, gautamsinghh ind <gautamsinghh.ind@gmail.com>, Sh. RAJA CHATTERJEE Registrar <registrarngt-kolkata@gov.in>, Judicial Section <ngtjudicial-kolkata@gov.in>

Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the **Order dated 24/05/2023 passed in Original Application No. 158/2023 Anup Kumar Applicant Versus State of Jharkhand Respondent .** for your kind perusal & necessary action.

for further correspondence please send all the documents on the new mail-id i.e.
judicial-ngt@gov.in
Kindly acknowledge the same.

REGARDS
CONSULTANT (Judicial)
(N.G.T.)(P.B.) New Delhi

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

OA 158 of 23_removed.pdf
7 MB

Anup Kumar.pdf

Item No. 08

Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 158/2023

Anup Kumar — Applicant

Versus

State of Jharkhand — Respondent

Date of hearing: 24.05.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by post/e-mail

ORDER

1. The original application under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered on a letter petition dated 18.10.2022 received from Shri Anup Kumar, Human Right Worker, resident of 387, Jaridih Bazar, Purvi Punchayat, Bermo, Bokaro, (State of Jharkhand).

2. The complaint is that in Barwadih Coal Project of Hazaribag in Jharkhand, illegal mining is being carried out by certain Proponents namely Triveni Sainik Mining Company and National Thermal Power Corporation, in violation of Orders of Hon'ble Supreme Court, without obtaining any clearance from Forest Department though the land is in Forest area and despite several complaints, concerned authorities have not taken any action in the matter.

3. Looking to the facts in the complaint, in our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen. However, before taking any further action in the matter we find it appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof we constitute a joint committee comprising State PCB, Regional Officer MoEF & CC, Divisional Forest Officer Hazaribagh and CPBC.

4. State PCB shall be the nodal agency for coordination and compliance of this order.

5. The committee shall visit the site, collect relevant informations and submit factual report within two months.

6. The said report shall be submitted by Joint Committee before Eastern Zone Bench, Kolkata through Registrar, by e-mail, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, who shall place the matter before the Bench for further action/direction in the matter.

7. Registry is directed to transfer record of this matter to Eastern Zone Bench, Kolkata for further proceedings in the matter.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

May 24, 2023
Original Application No. 158/2023
HB

Email

2030/LP/2022
20/10/22

Public Grievance

Fwd: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर अवैध तरीके से माइनिंग करता रहा NTPC और त्रिवेणी सैनिक एवं जीवनरेखा नदी को नष्ट कर 100 एकड़ में किया अवैध खनन (एनटीपीसी द्वारा) 1/7

From : Registrar General <rg.ngt@nic.in> Wed, Oct 19, 2022 09:54 AM

Subject : Fwd: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर अवैध तरीके से माइनिंग करता रहा NTPC और त्रिवेणी सैनिक एवं जीवनरेखा नदी को नष्ट कर 100 एकड़ में किया अवैध खनन (एनटीपीसी द्वारा) 1 attachment

To : Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>

From: nhrccbbokaro@gmail.com
To: "Registrar General" <rg.ngt@nic.in>, "Public Grievance" <publicgrievance-ngt@gov.in>, "filing ngt" <filing.ngt@gmail.com>, "Administrative Section" <admn.ngt@nic.in>, "Deputy Registrar" <dr.ngt@nic.in>, "Consultant Judicial-NGT(P.B.)" <judicial-ngt@nic.in>, "Consultant Judicial-NGT(P.B.)" <judicial-ngt@gov.in>, "General Section" <ngt-genadmin@gov.in>, "NGT Store" <so.ngt@nic.in>, "Ngt Protocol" <protocol.ngt@nic.in>, "abakolkar ngt" <abakolkar.ngt@gmail.com>, "Bhupender Yadav" <mefcc@gov.in>, "Kushal Vashist" <kushal.vashist@gov.in>, "Subir Kumar" <subir.kumar93@gov.in>, "Ashwini Kumar Choubey" <mos.akc@gov.in>, "Kuldip Narayan IAS" <kuldip.narayan@gov.in>, "Ms Leena Nandan" <secy-moef@nic.in>, "supremecourt sci" <supremecourt@nic.in>
Cc: "AMEET KUMAR" <director-mines@jharkhandmail.gov.in>, "jhr mines" <jhr_mines@yahoo.in>, jointsecy01@gmail.com, jointsecy02@gmail.com, "Hari Kumar Keshri" <Jointsecretary-mines@jharkhandmail.gov.in>, "Central Registry" <cr.nhrc@nic.in>, nhrccb@gmail.com, "Shri Manoj Yadava" <dg-nhrc@nic.in>, "Chiefminister jharkhand19" <Chiefminister.jharkhand19@gmail.com>, "Shri Sukhdev Singh" <cs-jharkhand@nic.in>, "jvs irtc" <jvs.irtc@gmail.com>, ig-orgcid@jhpolice.gov.in, ig-hr@jhpolice.gov.in, ig-vig@jhpolice.gov.in, ig-cid@jhpolice.gov.in, dgp@jhpolice.gov.in, dgpjharkhand@gmail.com, dgp-control@jhpolice.gov.in, pmo@gov.in, "PM Appointment Section" <Appt.pmo@gov.in>, "Presidents Secretariat" <presidentofindia@rb.nic.in>, "Rajesh Verma" <secy.president@rb.nic.in>, "Vice President of India" <vpindia@nic.in>, "Governor Odisha" <govodisha@nic.in>, "fmo" <fmo@nic.in>, "advrohit thakur" <advrohit.thakur@gmail.com>
Sent: Tuesday, October 18, 2022 8:41:53 PM
Subject: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर अवैध तरीके से माइनिंग करता रहा NTPC और त्रिवेणी सैनिक एवं जीवनरेखा नदी को नष्ट कर 100 एकड़ में किया अवैध खनन (एनटीपीसी द्वारा)

KIND ATTENTION:-

1. NATIONAL GREEN TRIBUNAL (PRINCIPAL BENCH)
FARIDKOT HOUSE, COPERNICUS MARG, NEW DELHI-110001
2. Hon'ble Justice Adrash kumar Goel Ji & Hon'ble Chairperson, NGT

118

3. Hon'ble Sh. Justice B. Amit Sthalekar, Judicial Member, Eastern Zone Bench, NGT, Kolkata
4. Hon'ble Sh. Saibal Dasgupta, Expert Member, Eastern Zone Bench, Kolkata
5. Mr. Vidya Prakash, Registrar General; Principal Bench, New Delhi
6. Consultant (R & I, Filing, PG), NGT, Principal Bench, New Delhi
7. HONABLE' SUPREME COURT OF INDIA, NEW DELHI.

KIND ATTENTION:-
Ministry of Environment, Forest And Climate Change :-

1. Mr. Bhupender Yadav,Minister of Environment, Forest and Climate Change O/o MEF
2. Mr. Kushal Vashist Private Secretary to Minister O/o MEF
3. Mr. Subir Kumar Under Secretary Forest Services (FS)
4. Mr. Ashwini Kumar Choubey, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change O/o MOS
5. Mr. Kuldip Narayan Private Secretary to HMOS O/o MOS
6. Mr. Rameshwar Prasad Gupta Secretary (EF&CC) O/o Secretary (EF&CC)

KIND ATTENTION:-
DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, GOVT. OF JHARKHAND :-

1 Secretary, Dept. of Mines & Geology, Govt. of Jharkhand
2 Sri Shekhar Kumar Sinha, Director Mines
3. मुख्यमंत्री महोदय, हेमंत सोरेन जी,
झारखंड सरकार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर अवैध तरीके से माइनिंग करता रहा NTPC और त्रिवेणी सैनिक :-

1. फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों की होती रही अवहेलना, सोया रहा जिला प्रशासन और वन विभाग,
2. चीफ सेक्रेटरी ने वन विभाग के प्रधान सचिव से मांगी रिपोर्ट,
3. वन विभाग ने पीसीसीएफ और पीसीसीएफ ने डीएफओ से मांगी रिपोर्ट,

JHARKHAND (Ranchi) : हजारीबाग के बरवाडीह कोल परियोजना में एनटीपीसी और त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर माइनिंग की. फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों का भी खुलेआम उल्लंघन किया, लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग गहरी नींद में सोया रहा. चीफ सेक्रेटरी की सख्ती के बाद अब वन विभाग, पीसीसीएफ और डीएफओ रिपोर्ट-रिपोर्ट खेल रहे हैं. केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बरवाडीह कोल परियोजना के फोरेस्ट क्लियरेंस में शर्त लगाया था. स्टेज 1 के क्लियरेंस शर्त 7 और स्टेज 2 के क्लियरेंस शर्त संख्या 8 में पकवा और दुमुहानी नाला को संरक्षित करने की बात कही गई थी, दोनों ओर 50-50 मीटर के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट निर्माण करना था. जिसकी निगरानी राज्य सरकार और वन विभाग को करना था.

मुख्य सचिव के निर्देश के बाद पीसीसीएफ ने डीएफओ से मांगी रिपोर्ट:-

एनटीपीसी की माइंस डेवलपर ऑपरेटर त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने फॉरस्ट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर दुमुहानी नाला (नदी) को नष्ट कर अवैध माइनिंग की. इसकी शिकायत स्थानीय निवासी मंटू सोनी ने केंद्रीय मंत्रालय में की थी, जिसपर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है. फिर मुख्य सचिव ने वन विभाग के प्रधान सचिव से रिपोर्ट मांगी. प्रधान सचिव ने पीसीसीएफ से रिपोर्ट मांगी और पीसीसीएफ ने डीएफओ से रिपोर्ट मांगी है. डीएफओ ने अवैध

119

ाईनिंग किये जाने की रिपोर्ट जुलाई महीने में ही बनाकर वरीय अधिकारियों को भेज दी है, जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर दुमुहानी नाला को नष्ट कर अवैध माइनिंग किये जाने की पुष्टि की है.

सोता रहा वन विभाग और जिला प्रशासन:-

त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कंपनी ने एनटीपीसी का नाम आगे कर स्थानीय प्रशासन को मैनेज कर अवैध खनन जारी रखा. सार्वजनिक उपयोग और महत्व की स्थलों,नदियों, नालों,तालाबों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट करते रहा. क्षेत्र के दुमुहानी (जीवनरेखा) जल श्रोत की 3.1 किलोमीटर लंबाई तक खनन हुई. करीब सौ एकड़ जमीन में अवैध माइनिंग किया गया. जिसमें महीनों नहीं सालों का समय लगा. मंटू सोनी की शिकायत के बाद वन विभाग की नींद खुली और फंसने के डर से आनन-फानन में अवैध माइनिंग की रिपोर्ट बनाकर खानापूर्ति की गई.

फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों में संशोधन का आवेदन देकर कर लिया अवैध खनन:-

एनटीपीसी द्वारा दुमुहानी नाला को मौसमी नाला/पुनर्निर्माण के लिए अनापत्ति पत्र के लिए आवेदन झारखंड सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को दिया था. विभाग में चीफ इंजीनियर अशोक कुमार ने वर्षा जल संचयन के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2013 में इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया कि उसे "वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार" से अनापत्ति आदेश लेना होगा और" पानी-पर्यावरण की उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना" चाहिए. इस आदेश के पांच साल छह महीने बाद 2018 को एनटीपीसी ने दुमुहानी नाला की शर्तों में संशोधन करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय के वन महानिदेशक को आवेदन दिया था. आवेदन अभी तक लंबित है और इधर दुमुहानी नाला को अवैध खनन कर नष्ट भी कर दिया गया है.

फॉरेस्ट क्लियरेंस के आदेश के पहले की गई माईनिंग अवैध- सुप्रीम कोर्ट :-

पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील नवेंदु कुमार ने बताया कि अवैध खनन की पुष्टि होने के बाद एनटीपीसी यह तर्क दे रहा है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों में दुमुहानी नाला से संबंधित शर्तों का संशोधन करने के लिए आवेदन दिया गया है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून 2022 को मेसर्स बालासोर अलॉयज लिमिटेड बनाम ओडिशा राज्य IA no 81251/2022 ,dairy no 16747 / 2022 में सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस शाह ने कहा था कि "फॉरेस्ट क्लियरेंस के आवेदन लंबित हैं तो इसे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं माना जा सकता, अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस के आदेश के बिना खुदाई की जाती है तो वह अवैध" है. किसी को उत्खनन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती" और ओडिशा हाईकोर्ट पर टिप्पणी करते यह कहा था कि "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट यथास्थिति के आदेश पारित कर रहे हैं और फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना अवैध खनन जारी रहा है.

Case No.02

"जीवनरेखा" को नष्ट कर 100 एकड़ में किया अवैध खनन, निशाने पर एनटीपीसी " :-

20 मीटर चौड़ी और 3.1 किलोमीटर नदी की लंबाई को नष्ट कर किया गया है अवैध खनन,

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुख्य सचिव से जांच कराने और कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट,

एनजीटी व उच्च न्यायालय के आदेश को खनन के लिए दिखाया गया ठेंगा,

128

Ranchi/Hazaribagh : एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना में भूमि-मुआवजा घोटाले के बाद एक और बड़ा मामला सामने आया है. एनटीपीसी के एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर इलाके की जीवन रेखा कही जाने वाली 30 मीटर चौड़ी नदी (दोमुहानी नाले) के बहाव क्षेत्र में खनन कर लिया गया. करीब 100 एकड़ से अधिक भूमि पर कंपनी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के शर्तो को ताक पर रखकर अवैध माइनिंग किया. जब यहां खनन किया जा रहा था तब जिला प्रशासन सोया रहा. इस संबंध में मंटू सोनी उर्फ शनिकांत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को शिकायत की थी. मंत्रालय की तरफ से तत्काल एक्शन लेते हुए चरणजीत सिंह ने झारखंड के मुख्य सचिव को जांच कर कार्रवाई करने और मंत्रालय को रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए पत्र लिखा है.

उस इलाके की जीवन रेखा है दोमुहानी नाला:-

हज़ारीबाग़ जिले के बड़कागांव की पहचान कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में रहा है. यहां की कृषि उपज से बने सामान की चर्चा विदेशों तक होती रही है. वन्य जीव जंतुओं से भरे इस इलाके की पहचान अब औद्योगिक और खनिज क्षेत्र के रूप में होने लगी है. औद्योगिक विकास के साथ-साथ भ्रष्टाचार, पर्यावरण, कृषि और वन्य जीव जंतुओं पर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे. फॉरेस्ट क्लियरेंस में दोमुहानी नाला के दोनों तरफ 50 मीटर ग्रीन बेल्ट बनाने का आवश्यक शर्त लगाया गया था. इसके बाद एनटीपीसी ने ग्रीन बेल्ट तो नहीं लगाया, नाला को ही नष्ट कर अवैध माइनिंग कर दिया. फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया. अवैध माईनिंग से पर्यावरण, वनीय जीव-जंतु और कृषि को भारी नुकसान हो रहा है.

एनजीटी व हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर किया गया खनन :-

उच्च न्यायालय व एनजीटी लगातार शासन प्रशासन को प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निर्देश पर निर्देश जारी करता रहा, लेकिन दोमुहानी नाला को नष्ट कर एनटीपीसी के एमडीओ त्रिवेणी-सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उच्च न्यायालय व एनजीटी की निर्देश को ठेंगा दिखाने का काम किया है.

पर्यावरण मंत्रालय से शिकायत:-

एनटीपीसी, त्रिवेणी-सैनिक माईनिंग कंपनी पर आरोप है कि उसने अवैध माइनिंग किया है. शिकायत के साथ हज़ारीबाग़ पश्चिमी वन प्रमंडल की जांच रिपोर्ट भी लगाई गई थी. प्रशिक्षु आईएफएस शैलेन्द्र सिंह (अब आईपीएस बिहार कैडर) और सहायक वन संरक्षक ए के परमार के क्षेत्र विजिट के दौरान पाया था कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ है. दोमुहानी नाला जिसकी औसत चौड़ाई 20 मीटर और 3.1 किलोमीटर लंबाई को नष्ट कर, अनाधिकृत तौर पर अवैध खनन कर लिया गया है. अवैध खनन की जब मापी की गई तो नाला की 20 मीटर चौड़ाई और 3.1 किलोमीटर लंबाई सामने आया. नाले के दोनों किनारे पर 50 मीटर का ग्रीन बेल्ट बनाने का जो शर्त लगाया गया था. उसकी मापी करने पर कुल 37.20 हेक्टेयर में अवैध माईनिंग किए जाने की पुष्टि जांच रिपोर्ट में हुई है. इसके अलावे पकवा नाले के दोनों ओर 50 मीटर ग्रीन बेल्ट बनना था. लेकिन अब तक मात्र 15 मीटर ही ग्रीन बेल्ट बनाया गया है. अवैध माइनिंग से मानवीय, वनीय जीव-जंतु, पर्यवारण और कृषि को बहुत नुकसान होने की बात कही गई है.

कोयला खनन परियोजना के लिए मिल चुका है एफआई एमआई अवॉर्ड !!!

एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना को भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) द्वारा पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए वर्ष 2019-20 का अभिराज

लदोटा पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है. यह पुरस्कार खनन परियोजना संचालन में सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, उत्कृष्ट वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन, खनन प्रक्रिया में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन, खनन प्रक्रिया में उत्कृष्ट तकनीक का उपयोग तथा जल संरक्षण एवं हरित क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है.

अवैध कार्यों में लिप्त है एनटीपीसी- मंटू सोनी:-

शिकायतकर्ता मंटू सोनी ने कहा कि दोमुहानी नाला को नष्ट कर अवैध माइनिंग का मामला उजागर हुआ है. भारत सरकार की कंपनी और देश में बिजली की सप्लाई देने के नाम पर एनटीपीसी के अधिकारी अवैध कार्यों में लिप्त हैं. इनको जिला प्रशासन का संरक्षण मिलता है. मंटू सोनी ने पूछा कि अगर एनटीपीसी भारत सरकार की कंपनी है तो नियम-कानून से ऊपर होकर अवैध कार्य करने का लाइसेंस तो नहीं मिला जाता है. जब भी इनके घपले-घोटाले उजागर होते हैं तो भारत सरकार की कंपनी और बिजली सप्लाई का नाम लेकर मूल बातों से भटकाने की कोशिश की जाती है.

न्यूज Source:- (मीडिया)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर माइनिंग करता रहा NTPC और त्रिवेणी सैनिक
https://lagatar.in/ntpc-and-triveni-sainik-kept-mining-in-contempt-of-order-of-supreme-court/

जीवनरेखा" को नष्ट कर 100 एकड़ में किया अवैध खनन, निशाने पर एनटीपीसी
केंद्र ने मुख्य सचिव से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगा
https://lagatar.in/illegal-mining-done-in-100-acres-by-destroying-lifeline/

अत:, उक्त दिए गए घटना को संज्ञान में लेते हुए आप सभी उच्च न्यायालय एवम अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि कृप्या एनटीपीसी जैसी कंपनियों और उनके ठेकेदार के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे देश की संपदा और खनिज की रक्षा की जा सके। पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन को सुरक्षित रख हम कानून का उलंघन करने वाली ऐसी कंपनी को निष्कासित कर एक मिसाल कायम करें, ताकि आम लोगों को कानून के प्रति विश्वास कायम रह सकें।

सधन्यवाद,

आपका आभारी,
Anup Kumar
(अनूप कुमार)
मानवाधिकार कार्यकर्ता
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनएचआरसीसीबी)
387, जरीडीह बाजार, पूर्वी पंचायत,
बेरमो ,बोकारो, PIN: 829114 (झारखंड)
MOBILE: 9225913808
EMAIL: nhrccbbokaro@gmail.com;

122

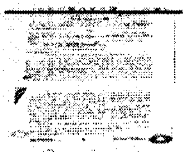

Screenshot_2022-10-18-19-40-21-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
679 KB

7:40

123

ITEM NO.5 COURT NO.2 SECTION XI-A

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 10237/2022

(Arising out of impugned final judgment and order dated 20-05-2022 in WPC No. 4157/2016 passed by the High Court Of Orissa At Cuttack)

M/S BALASORE ALLOYS LTD. Petitioner(s)

VERSUS

THE STATE OF ODISHA & ORS. Respondent(s)

(FOR ADMISSION and I.R. and IA No.81251/2022-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT[ALONG WITH LETTER FOR WITHDRAWAL OF SLP)

Date : 06-06-2022 This petition was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE M.R. SHAH
HON'BLE MR. JUSTICE ANIRUDDHA BOSE
(VACATION BENCH)

For Petitioner(s) Mrs. Pragya Baghel, AOR

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

It is not in dispute that the petitioner is not having the Forest Clearance at this stage. Merely because the application for Forest Clearance is pending cannot be treated as having obtained the Forest Clearance permitting the petitioner to carry on the excavation and the mining activities. Under the guise of the order of status *quo*, the petitioner, who is not having the Forest Clearance cannot be permitted to excavate and/or continue the mining activities. Therefore, as such, the High Court has rightly not extended the order of status *quo*.

2

At this stage, learned counsel appearing on behalf of the petitioner seeks permission to withdraw the present Special Leave Petition as the main petition is yet to be considered by the High Court on merits. Permission is, accordingly, granted. The Special Leave Petition stands dismissed as withdrawn.

Before parting with the present order, we request the High Court to decide and dispose of all such pending matters where the order of status *quo* is continued since long and the mining activities have been continued under the order of status *quo* without Forest Clearance, within a period of six months from today without fail.

With this, the present Special Leave Petition stands dismissed as withdrawn.

The Registry is directed to communicate this order to the Hon'ble Chief Justice of the High Court forthwith.

Pending application stands disposed of.

(R. NATARAJAN)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(NISHA TRIPATHI)
ASSISTANT REGISTRAR